18–उद्योग विभाग

संवर्ग : खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के विभिन्न संवर्ग

उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कर्मचारी संगठन द्वारा बोर्ड के विभिन्न पदों के वेतन उच्चीकरण की मांग की गई। बिक्रीकर्ता का वर्तमान ग्रेड पे 1900 से उच्चीकृत कर 2000 किये जाने की मांग कनिष्ठ सहायक से तुलना के आधार पर की गई है। इसी प्रकार विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी की वर्तमान ग्रेड पे क्रमशः 4200 व 2800 को उच्चीकृत कर 4800 व 4200 किये जाने का अनुरोध किया गया है। इन पदों की भी तुलना मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग से की गई है। लेखा संवर्ग के अंतर्गत कनिष्ठ लेखा निरीक्षक, वरिष्ठ लेखा निरीक्षक व लेखा निरीक्षक के वर्तमान ग्रेड पे 1900, 2800 व 4200 को उच्चीकृत कर 2800, 4200 व 4800 किये जाने की मांग की गई है। इसका आधार अन्य विभागों के लेखा संवर्ग के ग्रेड वेतन से तुलना का लिया गया है। इसी प्रकार तकनीकी संवर्ग के पदों फिटर, कताई पर्यवेक्षक व बुनाई अनुदेशक के वर्तमान ग्रेड पे 1800, 1800 व 2000 को उच्चीकृत कर 2000, 2000 व 2400 किये जाने का आधार अन्य विभागों के तकनीकी संवर्ग से तुलना का दिया गया है। अधीक्षक उत्पादन, तकनीशियन/क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन), डिजाइनर की वर्तमान ग्रेड पे 2800, 4200, 4200 को उच्चीकृत कर क्रमशः 4200, 4800, 5400 किये जाने की मांग की गई है। मांग का आधार यह लिया जा रहा है कि ठीक नीचे के पद एवं प्रोन्नति के पद का ग्रेड वेतन समान हो गया है। प्रशासनिक संवर्ग में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी व संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी की वर्तमान ग्रेड पे क्रमशः 5400, 6600 को 6600, 7600 में उच्चीकृत किये जाने की मांग की गई है। इसका आधार यह लिया जा रहा है कि ग्रामोद्योग अधिकारी के प्रोन्नति के पद उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी का ग्रेड वेतन समान हो गया है।

प्रकरण पर प्रशासकीय विभाग/वित्त विभाग से चर्चा की गई। समिति द्वारा सभी पदो के सम्बन्ध में गहन विचार–विमर्श किया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बिक्रीकर्ता, सहायक विकास अधिकारी, विकास अधिकारी के पदों के वेतनमान उच्चीकरण का आधार अन्य संवर्गों से तुलना के आधार पर लिया जा रहा है। **समता समिति संस्तुतियां स्वीकार किये जाने के उपरांत एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना का सिद्धांत समाप्त हो चुका है। अतः इस पर कोई कार्रवाई किये जाने का औचित्य नहीं है। लेखा संवर्ग के अंतर्गत कनिष्ठ लेखा निरीक्षक ग्रेड पे 1900, वरिष्ठ लेखा निरीक्षक ग्रेड पे 2800 व लेखा निरीक्षक ग्रेड पे 4200 निर्धारित है। विभिन्न विभागों में लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के गठन सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 201/XXVII(6)/2007 दिनांक 13 जुलाई, 2007 द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में इसका परीक्षण राज्य सरकार स्तर पर किया जा सकता है। फिटर, कताई पर्यवेक्षक, बुनाई अनुदेशक के ग्रेड पे उच्चीकरण का कोई आधार प्रतीत नहीं होता क्योंकि इन्टर–से–पैरिटी का सिद्धांत**

पूर्व में ही समाप्त हो चुका है। सहायक अधीक्षक उत्पादन (ग्रेड पे 2800) की पदोन्नति का पद अधीक्षक उत्पादन (ग्रेड पे 2800) होना कहा है। इस दृष्टि से प्रथम दृष्टतया यहां पर विसंगति प्रतीत हो रही है। यदि अधीक्षक उत्पादन के ग्रेड पे 2800 को उच्चीकृत कर 4200 किया जाता है तो फिर अगले प्रोन्नति के पद तकनीशियन/क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) का ग्रेड वेतन 4600 एवं उससे अगले प्रोन्नति के पद डिजाइनर का ग्रेड वेतन 4800 किया जाना होगा। कदाचित पांचवें वेतन आयोग में डिजाइनर का वेतनमान 6500–10500 था। राज्य सरकार द्वारा 6500–10500 के वेतन को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में सामान्य आदेश निर्गत किये गये हैं। इसके आलोक में भी इसका परीक्षण कर लिया जाय। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (ग्रेड पे 5400) की प्रोन्नति का पद उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ग्रेड पे 5400) इंगित किया है। यदि उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ग्रेड पे 5400) को उच्चीकृत कर ग्रेड पे 6600 किया जाता है तो अगली प्रोन्नति के पद संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ग्रेड पे 6600) को उच्चीकृत कर 7600 किया जाना होगा। अतः जहां पदोन्नति व पोषक पद के वेतन समान हो रहे हैं वहां सभी पहलुओं व पड़ने वाले प्रभावों का समग्र रूप से सम्यक परीक्षण कर इस प्रकार की विसंगति के निराकरण पर विचार किया जा सकता है।

संवर्ग : खनिकर्म सर्वेक्षक एवं वरिष्ठ मानचित्रकार

वित्त विभाग के पत्र संख्या 164/XXVII(7)/50(16)/2016 दिनांक 02 अगस्त, 2016 के माध्यम से औद्योगिक विकास अनुभाग–1 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के सर्वेक्षक व वरिष्ठ मानचित्रकार पद का वेतन उच्चीकरण का प्रकरण समिति को संदर्भित किया गया है इसमें सर्वेक्षक पद का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 को उच्चीकृत कर 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। सर्वेक्षक की शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सर्वेक्षण विषय में कम से कम 02 वर्ष का सर्वेक्षण शिल्पकारिता में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा बताई गई है तथा भर्ती का स्रोत लोक सेवा आयोग उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ मानचित्रकार (ग्रेड पे 4200) को उच्चीकृत ग्रेड पे 4600 दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

सर्वेक्षक पद का वेतन उच्चीकरण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा गया है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार तथा वन विभाग, उत्तराखण्ड में सर्वेक्षक का वेतनमान रू0 5000–8000 पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 है। यह कहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा उत्तराखण्ड वन विभाग में सर्वेक्षक का वेतनमान, शैक्षिक योग्यता तथा कार्य एवं दायित्व समान हैं परन्तु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के सर्वेक्षक का वेतनमान 4500–7000 पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 है। वर्णित पदों से समतुल्य/समकक्ष कहते हुए सर्वेक्षक पद का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 में

उच्चीकृत करने की अपेक्षा की गई है। यह भी कहा है कि मानचित्रकार की शैक्षिक योग्यता भी समान है और उसका पूर्व में वेतनमान 4000–6000 था जिसे बाद में शासनादेश दिनांक 14.10.2011 से 5000–8000 एवं शासनादेश दिनांक 27.7.2010 से 9300–348000 ग्रेड वेतन 4200 में उच्चीकृत किया गया है।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के अंतर्गत वरिष्ठ मानचित्रकार के वेतन उच्चीकरण प्रकरण में कहा गया है कि मानचित्रकार का पूर्व वेतनमान 4000–6000 पुनरीक्षित वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 था जिसे शासनादेश दिनांक 14.10.2011 द्वारा रू0 5000–8000 पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 दिनांक 27.7.2010 से उच्चीकृत किया गया है। पुनः शासनादेश दिनांक 29.10.2013 द्वारा उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 27.7.2010 के स्थान पर दिनांक 1.4.2001 से अनुमन्य किया गया है। वरिष्ठ मानचित्रकार का पद मानचित्रकार से पदोन्नति का पद होने के आधार पर वरिष्ठ मानचित्रकार के वेतन उच्चीकरण का औचित्य इंगित किया गया है। यह भी कहा है कि सिंचाई विभाग में प्रारूपकार (मानचित्रकार) से संगणक पद पर पदोन्नति होती है और संगणक का ग्रेड वेतन रू0 4600 में उच्चीकृत किया गया है, अतः सिंचाई विभाग के संगणक पद से समतुल्यता आधार पर भी वेतन उच्चीकरण का औचित्य है।

सर्वेक्षक के प्रकरण में उत्तराखण्ड वन विभाग के सर्वेक्षकों से की जा रही तुलना मान्य नहीं है क्योंकि समता समिति द्वारा प्रतिपादित एवं राज्य में लागू सिद्धांतों के अनुरूप एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना अनुमन्य नहीं है। जहां तक भारतीय सर्वेक्षण विभाग से तुलना का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह अवलोकनीय है कि समता समिति द्वारा संघों व विभागों को अवसर देकर समकक्षता वाले पद चिन्हित किये गये थे जिसके आधार पर ही राज्य में उत्तरोत्तर वेतन आयोग अवधि में पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये गये। सर्वेक्षक पद के सम्बन्ध में क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षक पद से समकक्षता मानी गई थी अथवा नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस प्रकार सर्वेक्षक पद के वेतनमान उच्चीकरण का प्रकरण विचारणीय नहीं है। वरिष्ठ मानचित्रकार के ग्रेड वेतन उच्चीकरण के सम्बन्ध में यह अवलोकनीय है कि कदाचित मानचित्रकार का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 से वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 में उच्चीकृत किये जाने के फलस्वरूप मानचित्रकार एवं वरिष्ठ मानचित्रकार के ग्रेड वेतन समान होने की परिस्थितियां हैं। इस दशा में यद्यपि प्रोन्नति से प्राप्त कुल परिलब्धियां उच्च रहती हैं, तथापि यदि पूर्व में दोनों पदों के वेतनमान अलग–अलग रहे हों और यदि उच्च स्तर पर प्रोन्नति के पदों व पोषक संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में अन्य कोई प्रभाव न हो तो प्रोन्नति के पद के वेतन उच्चीकरण के प्रकरण पर राज्य सरकार द्वारा सुविचारित निर्णय लिया जाना चाहिए।

संवर्ग : राजकीय मुद्राणालय, रूड़की

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 से प्रस्तुत एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या 185/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2016 द्वारा संदर्भित इस प्रकरण में सहायक निदेशक (मुद्रण) राजकीय मुद्राणालय, रूड़की का ग्रेड वेतन रू0 4200 से रू0 4800 में उच्चीकृत करने की अपेक्षा की गई है। यह कहा गया है कि सहायक निदेशक (मुद्रण) पद का वेतनमान 6500–10500 का पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 हुआ है। उ0प्र0 राज्य में मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद में सहायक निदेशक, मुद्रण के ग्रेड वेतन 4600 को उच्चीकृत कर 4800 शासनादेश दिनांक 23.1.2012 द्वारा किया गया है। इसके आधार पर उत्तराखण्ड में भी ग्रेड वेतन 4200 से 4800 करने की अपेक्षा की गई है।

अवलोकनीय है कि समता समिति की संस्तुतियों के क्रम में दूसरे राज्य से संवर्ग/पद के वेतन की तुलना का सिद्धान्त मान्य नहीं है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड द्वारा भी अपने पत्र संख्या 200, दिनांक 14 सितम्बर, 2016 में सुस्पष्ट इंगित किया है। समिति द्वारा परीक्षणोपरांत यह पाया गया कि कदाचित राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही पुराने वेतनमान 6500–10500 के लिए ग्रेड पे 4600 अनुमन्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के शासनादेश अनुसार 6500–10500 वेतनमान वाले पदों को ग्रेड वेतन 4600 का किये जाने के दिशा–निर्देश हुए है, जिस आधार पर शासन स्तर पर इस पद के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है।

19–सिंचाई विभाग

संवर्ग : कार्य पर्यवेक्षक, समूह 'ग'

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के माध्यम सिंचाई विभाग के कार्य पर्यवेक्षक पद का वेतन उच्चीकरण का प्रकरण संदर्भित हुआ है। कार्य पर्यवेक्षक संघ सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड से भी यह मांग प्रस्तुत हुई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा भी इस हेतु मांग की है। विभाग से उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार कार्य पर्यवेक्षक पद का वेतन 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 व शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट है एवं सीधी भर्ती का पद है। इस पद के कोई पदोन्नति अवसर न होना कहा है। इस पद की तुलना लो.नि.वि. के वर्क एजेन्ट से करते हुए इन्हें ग्रेड वेतन 2400 दिये जाने की अपेक्षा की गई है। एक अन्य संदर्भ में (कुछ समय पूर्व प्रेषित) कनिष्ठ सहायक पद से तुलना आधार पर ग्रेड वेतन 2000 अनुमन्य करने की विभाग द्वारा संस्तुति की गई है। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि छठे वेतन आयोग अंतर्गत कार्य पर्यवेक्षक व कनिष्ठ सहायक का वेतन समान 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 था और कि शासनादेश दिनांक 16 जनवरी, 2013 द्वारा कनिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन 2000 किया गया है जिस सम्बन्ध में समान शैक्षिक योग्यता तथा पूर्व में दोनों पदों का एक ही (समान) ग्रेड वेतन होने का आधार इंगित किया है। दिनांक 12–09–2016 को संघ के प्रतिनिधियों से हुयी वार्ता में सिंचाई विभाग के कार्यपर्यवेक्षक की सापेक्षता/समतुल्यता लोक निर्माण विभाग के वर्क एजेन्ट से बताई गयी। इसकी पुष्टि के लिए संघ के प्रतिनिधियों से तद् विषयक अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी । संघ ने अपने पत्र संख्या 92, दिनांक 24 सितम्बर, 2016 के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद,उत्तराखण्ड का पत्र संख्या 295 दिनांक 14–09–2016 की प्रति उपलब्ध करायी। इसमें सिचांई विभाग के कार्यपर्यवेक्षक एवं लोक निर्माण विभाग के वर्क एजेन्ट के पद की श्रेणी, शैक्षिक योग्यता, भर्ती का स्रोत एवं कार्य व दायित्वों का समान होने का तुलनात्मक विवरण इंगित किया गया है, परन्तु इसकी पुष्टि में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

समता समिति द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना मान्य नहीं है और यह प्रकरण वेतनमान उच्चीकरण का है। जहॉ तक सिंचाई विभाग के कार्यपर्यवेक्षक की सापेक्षता/समतुल्यता लोक निर्माण विभाग के वर्क एजेन्ट से होने का तथ्य समिति के संज्ञान में लाया गया है, इसकी पुष्टि एवं परीक्षण के लिए साक्ष्य स्वरूप अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अभिलेखों के अभाव में सापेक्षता/समतुल्यता पर समिति की संस्तुति सम्भव नहीं है। सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों के प्राप्त होने पर राज्य सरकार इस प्रकरण पर यथोचित निर्णय लेने पर विचार कर सकती है।

संवर्ग : सींचपाल, नलकूप चालक, सींच पर्यवेक्षक (समूह 'ग')

सिंचाई संघ, उत्तराखण्ड प्रदेश ने सिंचाई विभाग में कार्यरत सींचपाल, सिंचाई पर्यवेक्षक एवं नलकूप चालक की वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है। उनका कहना है कि सिंचाई विभाग में कार्यरत सींचपाल, नलकूप चालक एवं सींच पर्यवेक्षक के पद राजस्व विभाग के लेखपाल एवं भू–लेख निरीक्षक के पदों के समतुल्य हैं और सब पदों का वेतनमान वर्ष 2014 से पूर्व तक समान/बराबर रहा है, किन्तु 2014 में लेखपालों का वेतनमान सींचपाल/नलकूप चालकों के वेतनमान से अधिक एवं भूलेख निरीक्षक का वेतनमान सींच पर्यवेक्षक वेतनमान से अधिक कर दिया गया है और इस आधार पर वेतन विसंगति होना कहा है। वित्त विभाग के माध्यम से भी प्रकरण सन्दर्भित हुआ है और विभागीय सूचना अनुसार इन पदों व तुलना की जा रहे पदों के सम्बन्ध में निम्नवत् विवरण इंगित हुआ है:–

पद	वेतनमान/ग्रेड वेतन	भर्ती स्रोत	शैक्षिक योग्यता
सींचपाल	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	सीधी भर्ती	इण्टरमीडिएट
नलकूप चालक	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	सीधी भर्ती	इण्टरमीडिएट
लेखपाल	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	सीधी भर्ती	स्नातक एवं 09 माह प्रशिक्षण (पूर्व में इण्टरमीडिएट)
सींच पर्यवेक्षक	5200–20200/2400	पदोन्नति पद	इण्टरमीडिएट
राजस्व निरीक्षक (मैदानी)	9300–34800/4200	पदोन्नति पद	स्नातक

उल्लेखनीय है कि समता समिति द्वारा प्रतिपादित व राज्य में लागू सिद्धान्त अनुसार एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना मान्य नहीं है। यह मांग वर्णित पदों के वेतनमान उच्चीकरण से सम्बन्धित है। अतः विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : लैब टैक्नीशियन, पम्प ऑपरेटर, फिटर, प्लम्बर, टर्नर, इलैक्ट्रीशियन, कारपेन्टर, वेल्डर, लाइनमैन, मैकेनिक

प्रान्तीय सिंचाई नियमित कार्यप्रभारित दैनिक श्रमिक महापरिषद, उत्तराखण्ड द्वारा प्रत्यावेदन देकर इन पदों के वेतन उच्चीकरण करने की मांग की गई है। उनका कथन है कि सभी विभागों में इन पदों के समान पदधारकों का वेतनमान पूर्व में एक समान था लेकिन उत्तराखण्ड गठन के बाद अन्य विभागों में एक समान ग्रेड पदों में से कुछ पदधारकों का ग्रेड वेतन उच्चीकृत कर दिया गया है एवं सिंचाई विभाग में उच्चीकृत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है –

क्र0 सं0	सिंचाई विभाग में पदनाम/ग्रेड वेतन	अन्य विभाग में पदनाम/ग्रेड वेतन	इंगित औचित्य सहित मांग
1.	लैब टैक्नीशियन/2000	लैब टैक्नीशियन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/4200 (17.12.2015)	पद की समानता आधार पर सिंचाई विभाग में लैब टैक्नीशियन का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 दिया जाय।
2.	पम्प ऑपरेटर/1800	पम्प ऑपरेटर लो.नि.वि./1900 तथा वर्क एजेन्ट/2000 तथा अब 2400	लो.नि.वि. में पम्प ऑपरेटर को 1900 तथा वर्क एजेन्ट को 2400 के आधार पर सिंचाई विभाग के पम्प ऑपरेटर को ग्रेड वेतन 2400 दिया जाय।
3.	फिटर/ऑपरेटर/ इलैक्ट्रीशियन/प्लम्बर/ टर्नर/कारपेन्टर/वेण्डर/ लाइनमैन ग्रेड वेतन 1800	लो.नि.वि. में फिटर/ऑपरेटर/ इलैक्ट्रीशियन/ प्लम्बर/टर्नर/ कारपेन्टर/वेण्डर/ लाइनमैन का ग्रेड वेतन 1900 तथा वर्क एजेन्ट का पहले 2000 तथा अब 2400	लो.नि.वि. के वर्णित पदों के आधार पर सिंचाई विभाग के सम्बन्धित पदों का ग्रेड वेतन 2400 दिया जाय।
4.	मिस्त्री/मैकेनिक ग्रेड वेतन 1900	लो.नि.वि. में मिस्त्री/मैकेनिक का ग्रेड वेतन 2400 तथा वर्क एजेन्ट का 2000 तथा अब 2400	लो.नि.वि. के वर्णित पदों के आधार पर सिंचाई विभाग के इन पदों व ग्रेड वेतन 2400 दिया जाय।

लो.नि.वि. द्वारा इस श्रेणी के विभिन्न पदों के वेतन उच्चीकरण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2014 की उपलब्ध कराई गई छायाप्रति से स्पष्ट है कि कदाचित वेतन विसंगति समिति के 22वें प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के आधार पर शासनादेश में वर्णित पदों

के वेतन उच्चीकृत किये गये हैं। संघ की यह मांग वेतनमान उच्चीकरण से सम्बन्धित है। वित्त विभाग तथा प्रशासकीय विभागीय विभाग की संस्तुति व विभिन्न अभिलेख/विवरण उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि समता समिति के प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार इन्टर से पैरिटी मान्य नहीं है तथापि पदों के पारस्परिक सापेक्षता/समतुल्यता के समस्त पहलुओं व उच्चीकरण से होने वाले प्रभावों आदि के सम्बन्ध में समग्र रूप से सम्यक परीक्षण पर राज्य सरकार विचार कर सकती है।

संवर्ग : भण्डार संवर्ग

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के माध्यम संदर्भित इस प्रकरण में वरिष्ठ भण्डारपाल पद का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 को 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 संशोधित कर वेतन विसंगति का निराकरण करने का प्रस्ताव सिंचाई विभाग द्वारा दिया गया है। भण्डार कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड प्रदेश द्वारा भी इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिया है। वेतन संशोधन (उच्चीकरण) के लिए कनिष्ठ अभियन्ता पद व केन्द्रीय भूगर्भ जल संस्थान, भारत सरकार को वरिष्ठ भण्डारपाल पद से तुलना इंगित की गई है। विभिन्न वर्षों में इन पदों के वेतनमान की तुलना का विवरण निम्नानुसार इंगित किया गया है:–

वेतनमान वर्ष	वरिष्ठ भण्डारपाल (सहायक भण्डार अधीक्षक)	कनिष्ठ अभियन्ता (उत्तराखण्ड)	केन्द्रीय भूगर्भ जल संस्थान, भारत सरकार
1964–65 से पूर्व	120–250	120–250	
1964–65 से	120–220	175–300	
1971–73 से	300–500	300–500	
1979 से	515–860	515–860	
1986 से	1400–2300	1400–2300	1600–2660
1996 से	4500–7000	4500–7000 (पुनरीक्षित 5000–8000)	5000–8000
2006 से	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 (पुनः ग्रेड वेतन 4600)	6500–10500 7450–11500 उच्चीकृत वेतनमान (9300–34800 ग्रेड वेतन 4600)

उक्त विवरण के क्रम में 1996 में वरिष्ठ भण्डारपाल (सहायक भण्डार अधीक्षक) का वेतनमान पुनरीक्षित /उच्चीकृत/संशोधित नहीं होने के कारण वेतन विसंगति उत्पन्न व वर्तमान तक विद्यमान रहना कहा गया है।

उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 सम्बन्धी अधिसूचना (भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के सम्बन्ध में) की छायाप्रति अनुसार स्टोर कीपिंग स्टाफ अंतर्गत वरिष्ठ स्टोर कीपर ग्रेड–2 का वेतनमान 6500–10500 से 7450–11500 करते हुए वेतन बैण्ड 2 ग्रेड वेतन 4600 दिया गया प्रतीत होता है। उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय जल आयोग की , 'Central Water Commission, subordinate offices (Store Keeper) Recruitment Rules, 2003' की उपलब्ध कराई गई की छायाप्रति अनुसार स्टोर कीपर पद 4000–6000 में होना इंगित किया गया है।

समता समिति द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना मान्य नहीं है, अतः अवर अभियन्ता से तुलना कर वरिष्ठ भण्डारपाल के वेतन उच्चीकरण का आधार मान्य नहीं है। केन्द्र सरकार में वरिष्ठ स्टोर कीपर ग्रेड–2 के वेतन आधार पर वेतन उच्चीकरण के सम्बन्ध में यह अवलोकनीय है कि समता समिति द्वारा संघों व विभागों को सुनते हुए केन्द्र से समकक्षता आधार पर पदों का चिन्हीकरण किया गया था। उस कार्यवाही में इस पद के सम्बन्ध में वेतन उच्चीकरण/संशोधन की कार्यवाही क्यों नहीं हुई इसका कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। यदि केन्द्र सरकार में बाद में वरिष्ठ स्टोर कीपर के पद का वेतन उच्चीकृत किया हो तो उसके साक्ष्य/प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 1274/11–2016–01(85)/2003 दिनांक 01 अगस्त, 2016 में भण्डार पाल संवर्ग में निम्नानुसार पुनर्गठन पश्चात स्वीकृत पद इंगित हुए हैं :–

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या	अभ्युक्ति
1.	सहायक भण्डारपाल	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	20	
2.	भण्डार पाल	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	12	
3.	वरिष्ठ भण्डारपाल	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	7	नवसृजित

उक्तानुसार वरिष्ठ भण्डारपाल का पद विभाग में पूर्व से नहीं रहा है बल्कि शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 2016 द्वारा नया सृजित किया है जो कदाचित भण्डारपाल पद ग्रेड वेतन 2400 का प्रोन्नति पद होगा? (स्थिति स्पष्ट नहीं है)। चूंकि पद नया सृजित है एवं अन्य पहलूओं को भी देखा जाना है अतः प्रकरण फिलहाल विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : संगणक

इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्विसेज एसोसिएशन, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड द्वारा सिंचाई विभाग में संगणक का ग्रेड वेतन रूपये 4600 से बढ़ाकर 4800 किये जाने की मांग की गई है। सेवा नियमावली 2003 अनुसार संगणक का पद शत–प्रतिशत प्रारूपकार से पदोन्नत

का पद है कदाचित प्रारूपकार का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 अनुमन्य किया गया है। मांग के सम्बन्ध में यह आधार इंगित किया गया है कि विभिन्न वेतन आयोग में संगणक का वेतनमान कनिष्ठ अभियंता से उच्च रहा है। कार्यालय मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा शासन को प्रेषित पत्र संख्या 5920 दिनांक 3 नवम्बर, 2015 में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में संगणक का वेतनमान कनिष्ठ अभियंता के वेतन के बराबर गेड वेतन 4600 है। चूंकि वर्ष 1972 से 1996 तक कनिष्ठ अभियंता का वेतनमान संगण के वेतनमान से कम रहा है, जिससे विसंगति उत्पन्न हुई है और यह भी इंगित किया है कि पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के अन्तर्गत संगणक का वेतनमान कनिष्ठ अभियंता से उच्च वेतनमान ग्रेड पे 4800 किया जाय। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार संगणक का पद वर्ष 2006 से पूर्व कनिष्ठ अभियंता के पद के वेतनमान से उच्च वेतनमान का रहा है। छठवें वेतन आयोग की संस्तुति में लागू वेतनमानों में दोनों पदों का वेतनमान ग्रेड वेतन 4200 एक समान हो गया। तदोपरान्त कनिष्ठ अभियंता का वेतन ग्रेड वेतन 4200 से 4600 में उच्चीकृत हुआ।

संगणक संघ से वार्ता के अवसर पर उनके द्वारा संगणक के कार्य एवं दायित्व कनिष्ठ अभियंता से उच्च होने एवं कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यों के पर्यवेक्षकीय दायित्व होने से अवगत कराये जाने पर इससे सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। संघ द्वारा साक्ष्य के रूप में मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई का पत्र संख्या 2553/दिनांक 14 मई, 2013 उपलब्ध कराया गया, जिसमें संगणक को तकनीकी ड्राईग अधिष्ठान का प्रभारी होना तथा विभाग द्वारा किये गये समस्त तकनीकी कार्यों का परीक्षण एव नियंत्रण करना इंगित रहने के साथ–साथ शासनादेश संख्या 6387/84–23–सिं0–7–44(1)82, दिनांक 11–12–1984 में निर्धारित कर्त्तप्य उत्तरदायित्व से अवगत कराया है। यह भी अवगत कराया गया कि विभाग में ड्रिल प्रोफार्मा में जब तक संगणक के जॉच का प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होता तब तक योजना का सत्यापन पूर्ण नहीं होता।

वेतन विसंगति समिति की बैठक दिनांक 25 जून, 2015 को सम्पन्न 27वीं बैठक में संगणक के वेतनमान को उच्चीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार किया गया। इस सम्बन्ध में वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के प्रमुख सचिव/सचिव सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निर्गत पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2015 में इंगित किया गया है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत करायी गई सूचना अनुसार पूर्व में संगणक एवं कनिष्ठ अभियंता के वेतनमान एक समान होते थे एवं संगणक की पदोन्नति कनिष्ठ अभियंता की भांति सहायक अभियंता के पद पर होती है। उस समिति द्वारा तदक्रम में संगणक का वेतनमान कनिष्ठ अभियंता की भांति ग्रेड वेतन 4200 से 4600 में उच्चीकृत करने की संस्तुति की गई। इसी क्रम में सिंचाई विभाग के शासनादेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 द्वारा संगणक पद वेतनमान 9300–34800 का ग्रेड वेतन 4200 से 4600 में उच्चीकृत किया गया है।

कार्यालय मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा शासन को प्रेषित पत्र संख्या 5920 दिनांक 3 नवम्बर, 2015 एवं प्रमुख सचिव/सचिव सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के निर्गत पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2015 में संगणक एवं कनिष्ठ अभियंता के वेतनमान की पूर्व की प्रास्थिति के सम्बन्ध में वर्णित तथ्य में एक रूपता नहीं है। विभागाध्यक्ष के पत्र के अनुसार विभाग में संगणक पद का वेतनमान 1972 से 1996 तक कनिष्ठ अभियंता के वेतनमान से उच्च रहा है। विभागाध्यक्ष के पत्र के अनुसार संगणक के कर्त्तव्य एवं दायित्वों में विभाग के समस्त तकनीकी कार्यो का परीक्षण एवं नियंत्रण रखना है तथा कर्त्तव्य एवं दायित्वों से सम्बन्धित शासनादेश में कतिपय कार्य कनिष्ठ अभियंता के कार्यो का पर्यवेक्षकीय कार्य होना यद्यपि परिलक्षित हैं तथापि संगणक का पद कनिष्ठ अभियंता का पर्यवेक्षकीय पद होने की पूर्ण एवं सही स्थिति स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त स्थिति के क्रम में संगणक का ग्रेड वेतन 4600 से बढ़ाकर 4800 करने की मांग पर समिति की संस्तुति सम्भव नही है। समस्त आवश्यक अभिलेखों के उपलब्ध रहने पर राज्य सरकार प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कराके यथोचित निर्णय लेने पर विचार कर सकती है।

संवर्ग : वैज्ञानिक सहायक, शोध पर्यवेक्षक एवं प्रतिरूप सहायक

वैज्ञानिक संवर्ग संघ, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिरूप सहायक के ग्रेड वेतन 1900 के स्थान पर ग्रेड वेतन 2400, वैज्ञानिक सहायक के ग्रेड वेतन 2800 के स्थान पर ग्रेड वेतन 4200 एवं शोध पर्यवेक्षकों के पदों पर प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन 4200 के स्थान पर ग्रेड वेतन 4800 किये जाने की मांग की गई है।

उपलब्ध कराये गये सिंचाई अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 1274, दिनांक 01 अगस्त, 2016 अनुसार सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गया है जिसमें प्रतिरूप सहायक वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 1900 के 48 पद, वैज्ञानिक सहायक वेतन बैण्ड 5200–20200 ग्रेड पे 2800 के 48 पद तथा शोध पर्यवेक्षक वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 के 56 पद स्वीकृत किये गये हैं।

उपलब्ध कराई गई उत्तरांचल वैज्ञानिक संवर्ग (सिंचाई विभाग) की सेवा नियमावली 2003 एवं संशोधन नियमावली 2008 के अनुसार **प्रतिरूप सहायक** के सभी पद चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं तथा शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान विषयों में इण्टरमीडिएट परीक्षा गणित के साथ उत्तीर्ण है। संघ द्वारा कहा है कि पूर्व में सिंचाई विभाग के प्रतिरूप सहायक एवं शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक के वेतनमान एवं शैक्षिक योग्यता समान है तथा कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान को शासनादेश दिनांक 29.10. 2013 द्वारा ग्रेड वेतन 2400 कर दिया गया है।

वैज्ञानिक सहायक पद के सम्बन्ध में कहा है कि इस पद का वेतनमान पूर्व में कनिष्ठ अभियंता के वेतनमान के समान थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने तीसरे वेतन आयोग से वर्तमान तक के वेतनमानों का विवरण निम्नानुसार अवगत कराया है–

क्र0 सं0	वेतन आयोग / वर्ष	सिंचाई विभाग वैज्ञानिक सहायक पद का वेतनमान	सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियंता पद का वेतनमान
1.	तीसरा वेतन आयोग / 1979	515–860	515–860
2.	चौथा वेतन आयोग / 1986	1400–2300	1400–2300
3.	पंचवा वेतन आयोग / 1996	4500–7000	4500–7000 संशोधित 5000–8000
4.	छठा वेतन आयोग / 2006	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 वर्तमान में ग्रेड वेतन 4600

उक्तानुसार कनिष्ठ अभियंता का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 व पुनः ग्रेड वेतन 4600 होना कहा है। सेवा नियमावली की छायाप्रति भी उपलब्ध कराई गई है जिसके अनुसार वैज्ञानिक सहायक पद पर कुल सृजित पदों का 30 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा तथा 70 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत प्रतिरूप सहायकों में से पदोन्नत द्वारा भरा जाता है। वैज्ञानिक सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता गणित के साथ भौतिक विज्ञान अथवा रसायन शास्त्र में स्नातक की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यह भी कहा है कि केंद्र में सिंचाई विभाग अस्तित्व में नहीं है और सिंचाई विभाग को जल संसाधन मंत्रालय में विलय कर दिया है। यह भी इंगित किया है कि सिंचाई विभाग के वैज्ञानिक सहायक पद की तुलना भारत सरकार के मौसम विभाग में वैज्ञानिक सहायक के पद से शैक्षिक योग्यता / भर्ती स्रोत / कार्य प्रकृति के आधार पर तुलना करते हुए निम्नानुसार विवरण दिया गया है–

क्रमांक	विवरण	भारत सरकार मौसम विभाग	सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
1.	पदनाम	वैज्ञानिक सहायक	वैज्ञानिक सहायक
2.	शैक्षिक योग्यता	बी0एस0सी0 भौतिक विज्ञान	बी0एस0सी0 भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित
3.	भर्ती स्रोत	सीधी भर्ती 25 प्रतिशत पदोन्नति 75 प्रतिशत	सीधी भर्ती 30 प्रतिशत पदोन्नति 70 प्रतिशत
4.	नियुक्ति प्रक्रिया	विभागीय चयन समिति द्वारा	विभागीय चयन समिति द्वारा
5.	वेतनमान 1.1.1986 1.1.1996 1.1.2006	 1400–2300 5500–9000 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	 1400–2300 4500–7000 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800

उक्तानुसार मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक सहायक से तुलना दर्शाई है एवं भारत सरकार मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक सहायक का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 होना इंगित किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के इण्डियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) में वैज्ञानिक सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता प्रथम श्रेणी में बी0एस0सी0 (भौतिक विज्ञान, गणित एवं रसायन शास्त्र) होना तथा इनका वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 होना अवगत कराया है।

शोध पर्यवेक्षक के पद के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि सेवा नियमावली अनुसार इस पद पर शत–प्रतिशत वैज्ञानिक सहायकों से पदोन्नत द्वारा नियुक्ति होती है। वर्तमान में शोध पर्यवेक्षक का वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 होना कहा है। यह कहा है कि वैज्ञानिक सहायक का वेतन उच्चीकृत हो जाने पर वैज्ञानिक सहायक व शोध पर्यवेक्षक पद का वेतन/ग्रेड वेतन समान हो जाएगा इस आधार पर शोध पर्यवेक्षक का वेतनमान ग्रेड वेतन 4200 से 4800 में उच्चीकृत किये जाने की मांग की गई है।

उक्त प्रकरणों के संदर्भ में समता समिति द्वारा प्रतिपादित एवं राज्य द्वारा लागू सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना नहीं की जा सकती है, इस कारण प्रतिरूप सहायक के वेतन उच्चीकरण का मामला विचारणीय नहीं है। वैज्ञानिक सहायक के पदों की तुलना भारत सरकार के मौसम विज्ञान एवं इसरो से की गई है। यहां यह स्पष्ट है कि भारत सरकार के मौसम विज्ञान में वैज्ञानिक सहायक को ग्रेड वेतन 4200 एवं इसरो में वैज्ञानिक सहायक को ग्रेड वेतन 4600 दिया जा रहा है। वेतन भिन्नता 1996 से ही है, अतः कोई तुलना करना उचित एवं तर्कसंगत नहीं है। वैज्ञानिक सहायक की तुलना कनिष्ठ अभियंताओं से भी की गई है परन्तु एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना मान्य नहीं है। इसी क्रम में वैज्ञानिक सहायक से पदोन्नति के शोध पर्यवेक्षक पद के वेतन उच्चीकरण का प्रकरण भी विचारणीय नहीं है। अवगत कराई गई सूचना के आधार पर यह भी अवलोकनीय है कि कनिष्ठ अभियंता एवं वैज्ञानिक सहायक के वेतन में भिन्नता पांचवें वेतन आयोग/1996 से ही है तथा शैक्षिक योग्यता व कार्य दायित्व में भी भिन्नता है।

संवर्ग : उत्तरांचल राजस्व संवर्ग

सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ द्वारा राजस्व अधिष्ठान अंतर्गत राजस्व संवर्ग (समूह 'ग') के कर्मी/अधिकारी 'जिलेदार' का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 करने की मांग की गई है। यह कहा गया है कि पूर्व में सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता के पद से जिलेदार के पद पर पदोन्नति का प्रावधान था तथा चौथे वेतन आयोग 1986 से जिलेदार एवं कनिष्ठ अभियन्ता का वेतनमान सदैव एक समान रहा है, जिस आधार पर दोनों पदों को समतुल्य होना कहा है। माह नवम्बर, 2013 में कनिष्ठ अभियन्ता का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 में उच्चीकृत किये जाने के फलस्वरूप वेतन विसंगति उत्पन्न होना कहा है एवं जिलेदार पद का वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 करने की मांग की है। हिमांचल आदि अन्य प्रदेशों तथा उत्तराखण्ड के नायब तहसीलदार पद के वेतन से भी तुलना संघ द्वारा इंगित करते

हुए अपनी मांग पर बल दिया है। उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 1.8.2016 अनुसार जिलेदार का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 है। इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराई गई विभागीय सूचना अनुसार जिलेदार पद में पदोन्नति से नियुक्ति की व्यवस्था एवं शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट व विभागीय जिलेदारी अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान होना बताया गया है जबकि कनिष्ठ अभियन्ता पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती व पदोन्नति से किये जाने एवं शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं 03 वर्षीय सिविल/यांत्रिक डिप्लोमा इंगित की गई है। इसी सम्बन्ध में उपलब्ध कराई गई विभागीय सूचना की छायाप्रति से निम्नलिखित स्थिति इंगित हुई है:–

क्र0 सं0	पदनाम	1.1.86 से पूर्व वेतनमान	1.1.86 से वेतनमान	1.1.96 से वेतनतान	1.1.06 से वेतनमान	1.1.06 के बाद उच्चीकृत वेतनमान
1.	जिलेदार	470–735	1400–2300	4500–7000	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	–
2.	कनिष्ठ अभियन्ता	515–860	1400–2300	5000–8000	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600

उक्तानुसार 1.1.86 से पूर्व दोनों पदों के वेतन में भिन्नता दृष्टिगत है एवं 1.1.96 से संशोधित वेतनमान लागू होने के उपरान्त भी कनिष्ठ अभियन्ता का वेतन जिलेदार से उच्च हुआ है।

संदर्भित इस प्रकरण में दो अलग संवर्ग के पदों के मध्य तुलना के आधार पर जिलेदार पद के वेतनमान उच्चीकरण की मांग की गई है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि समता समिति द्वारा प्रतिपादित एवं राज्य द्वारा लागू सिद्धांत अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना मान्य नहीं है। अन्य राज्यों एवं उत्तराखण्ड के अन्य संवर्ग के पदों में तुलना का भी सिद्धांत मान्य नहीं है। अतः यह प्रकरण केवल वेतनमान उच्चीकरण का है और समिति के विचार क्षेत्र के बाहर है। अतः वेतन विसंगति के रूप में इस पर विचार का औचित्य नहीं पाया है।

संवर्ग : राजस्व अधिष्ठान लिपिकीय संवर्ग (राजस्व सहायक संवर्ग)

राजस्व सहायक एसोसिएशन, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने हेतु दिये गये प्रत्यावेदन व अन्य दिये गये विवरणों अनुसार निम्नानुसार विभिन्न पदों के वेतन उच्चीकरण की अपेक्षा की है:–

क्र0	पदनाम	भर्ती स्रोत/	वर्तमान वेतनमान/	अपेक्षित वेतनमान/

सं0		शैक्षिक योग्यता	ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन
1.	राजस्व सहायक	सीधी भर्ती (पूर्व में सींचपाल व नलकूप चालक से प्रोन्नति) योग्यता इण्टर तथा सिंचाई व राजस्व कार्यों आठ माह के प्रशिक्षण	5200–20200/2000	5200–20200/2800
2.	मुख्य राजस्व सहायक	राजस्व सहायक से पदोन्नति	5200–20200/2800	9300–34800/4200
3.	वरिष्ठ मुख्य राजस्व सहायक ग्रेड–2	मुख्य राजस्व सहायक से पदोन्नति		9300–34800/4600
4.	वरिष्ठ मुख्य राजस्व सहायक ग्रेड–1	व0मुख्य रा0 सहायक से पदोन्नति	9300–34800/4600	9300–34800/4800
5.	राजस्व अधीक्षक	व0 मुख्य रा0 सहायक ग्रेड–1 से पदोन्नति	9300–34800/4800	15600–39100/5400

एसोसिएशन द्वारा एक प्रत्यावेदन के माध्यम से यह भी कहा है कि अनुसचिवीय अधिष्ठान में मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 तथा सिंचाई संवर्ग में उप राजस्व अधिकारी वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 तक प्रोन्नति के अवसर है जबकि सिंचाई विभाग के राजस्व सहायक संवर्ग के कार्मिकों को वेतन बैण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 तक ही प्रोन्नति अवसर हैं। इस आधार पर राजस्व सहायक संवर्ग में मुख्य राजस्व अधीक्षक वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 तब प्रोन्नति पद इजाद करने की आवश्यकता होना व प्रकरण शासन में लम्बित होना कहा है। यह भी कहा है कि राज्य के सभी लिपिक संवर्गीय कार्मिकों को शासनादेश संख्या 406, दिनांक 8.2.2013 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2013 से वेतन संशोधित किया है लेकिन सिंचाई विभाग के राजस्व अधिष्ठान के लिपिक संवर्गीय कार्मिकों को शासनादेश संख्या 1645, दिनांक 29.8.2014 द्वारा संशोधित वेतन का लाभ 01 जनवरी, 2013 से नहीं दिया गया है जिसे विसंगति कहते हुए इसे दूर करने की अपेक्षा की है।

उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार (मुंशी सेवा नियमावली 1954) मुंशी पद पर नियुक्ति कैनाल डिवीजन में पतरोल तथा नलकूप खण्डों के नलकूप चालकों से पदोन्नति की व्यवस्था थी और उपयुक्त पतरोल/नलकूप चालक उपलब्ध न होने की दशा में सीधी भर्ती की व्यवस्था

है। उत्तराखण्ड राजस्व अधिष्ठान सेवा नियमावली (समूह 'ख' एवं 'ग') नियमावली, 2003/संशोधन नियमावली क्रमशः 2008 व 2015 अनुसार इस संवर्ग में राजस्व सहायक, मुख्य राजस्व सहायक, वरिष्ठ मुख्य राजस्व सहायक ग्रेड–2 तथा वरिष्ठ मुख्य राजस्व सहायक ग्रेड–1 पद क्रमशः ग्रेड वेतन 2000, 2800, 4200 व 4600 में सृजित हैं। राजस्व सहायक सीधी भर्ती का पद है जबकि अन्य पद उत्तरोत्तर प्रोन्नति के पद हैं। राजस्व सहायक पद की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट है। सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 1274, दिनांक 01 अगस्त, 2016 अनुसार इस संवर्ग के निम्नलिखित पद बताए गए हैं :–

राजस्व सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800
मुख्य राजस्व सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800
वरिष्ठ मुख्य राजस्व सहायक ग्रेड–2	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
वरिष्ठ मुख्य राजस्व सहायक ग्रेड–1	9300–34800 ग्रेड वेतन 4600
राजस्व अधीक्षक (नवसृजित)	9300–34800 ग्रेड वेतन 4800

उल्लेखनीय है कि मिनिस्टीरियल संवर्ग में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 16 जनवरी, 2013 द्वारा छह स्तरीय पद रखे हैं (ग्रेड वेतन 2000 से 5400 तक) जिसका लाभ शासनादेश दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2013 से अनुमन्य किया गया है। मिनिस्टीरियल संवर्ग से तुलना का आधार लेकर वेतन उच्चीकरण की अपेक्षा के सम्बन्ध में एक पहलू यह भी अवलोकनीय है कि सिंचाई विभाग में मिनिस्टीरियल संवर्ग भी कदाचित विद्यमान हैं और कि मिनिस्टीरियल संवर्ग के साथ–साथ राजस्व सहायक संवर्ग भी स्थापित/कार्यरत है जिससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या इन दोनों संवर्गों के कार्य व प्रकृति अलग–अलग हैं? यदि ऐसा है तो फिर मिनिस्टीरियल संवर्ग से तुलना का आधार नहीं होगा और यदि नहीं तो फिर दो भिन्न–भिन्न संवर्ग/भिन्न–भिन्न प्रकार के पदनाम रखने का क्या औचित्य है। सिंचाई विभाग के संरचनात्मक ढांचा पुनर्गठन में राजस्व अधीक्षक का पद ग्रेड वेतन 4800 में सृजित किया जा चुका है जिससे इस संवर्ग में उच्च स्तर का एक और पद उपलब हो गया है। प्रकरण पूर्णतः वेतन उच्चीकरण व ढांचा पुनर्गठन का है जो विसंगति का विषय नहीं है और समिति के विचार क्षेत्र से बाहर है, अतः प्रकरण विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : मेट

मेट कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग द्वारा मेट पदों, ग्रेड वेतन 1900 को उच्चीकृत कर 2400 किये जाने की मांग की है। अवगत कराया गया कि सिंचाई विभाग में मेट कर्मचारियों का पद सीधी भर्ती का है जिसकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण है। यह भी बताया गया कि इनकी पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं। यह भी अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग में मेट कर्मचारियों की पदोन्नति वर्क एजेंट (ग्रेड वेतन 2400) के पद पर की जाती है।

संघ का यह भी कथन है कि सिंचाई विभाग के मेट कर्मचारी एवं लोक निर्माण विभाग के वर्क एजेंट, दोनों का कार्य पर्यवेक्षण का है एवं दोनों पदों के कार्यों में समरूपता भी है। सिंचाई विभाग के मेट का पद परिवेक्षीय बताया गया है एवं कहा है कि यह कुशल/अकुशल कारपेन्टर, प्लम्बर, इलैक्ट्रीशियन, वैल्डर, पम्प ऑपरेटर इत्यादि (आई0टी0आई0 एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण) कर्मचारियों के कार्यों का परिवेक्षण/निरीक्षण आदि कार्य करता है।

समता समिति की संस्तुतियां लागू होने के उपरान्त एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना का सिद्धांत मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग के वर्क एजेंट के वेतन उच्चीकरण के साथ शैक्षिक योग्यता में संशोधन हुआ है जिसमें हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा सर्वेयर ट्रेड में दो वर्ष का आई0टी0आई0 का प्रमाण पत्र व सम्बन्धित ट्रेड में 5 वर्ष का अनुभव निर्धारित है। यह प्रकरण वेतन उच्चीकरण की मांग से सम्बन्धित है, अतः विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की

ट्यूबवैल टैक्नीकल एम्प्लाईज एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की में कार्यरत मिस्त्री एवं नलकूप खण्डों में कार्यरत मिस्त्रियों को पूर्व में समान वेतनमान 3050–4590 एवं समान प्रोन्नति वेतनमान 3200–4900 मिल रहा था। उन्होंने यह भी कहा है कि दिनांक 25.04.2004 से नलकूप खण्डों में कार्यरत मिस्त्रियों का वेतनमान रू0 4000–6000 संशोधित कर दिया गया किन्तु सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूड़की में यह उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य नहीं कराया गया। यह भी इंगित किया है कि अनुसंधान संस्थान, रूड़की में कार्यरत मिस्त्रियों की शैक्षिक योग्यता व भर्ती का स्रोत नलकूप खण्डों में कार्यरत मिस्त्रियों के अनुरूप है। वर्तमान में अनुसंधान संस्थान के मिस्त्रियों की ग्रेड पे 1900 है जबकि नलकूप खण्डों में कार्यरत मिस्त्रियों की ग्रेड पे 2400 होना अवगत कराया है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में अन्य कोई सूचना/विवरण प्राप्त नहीं कराया गया है। सिंचाई विभाग के संरचनात्मक पुनर्गठित ढांचे के निर्गत शासनादेश दिनांक 1.8.2016 अनुसार कदाचित नलकूप मिस्त्री (आई0टी0आई0) का वेतन 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 है एवं ग्रेड वेतन 1900 में कोई मिस्त्री के पद सृजित नहीं हैं।

यद्यपि यह दोनों संवर्ग एक ही विभाग के अंतर्गत हैं तथापि 2004 में नलकूप मिस्त्री पद का वेतन उच्चीकरण कब व किस आधार पर किया गया एवं सिंचाई अनुसंधान संस्थान के मिस्त्रियों का वेतन उच्चीकरण क्यों नहीं हुआ इसकी जानकारी एवं पुष्टि हेतु कोई विवरण उपलब्ध न होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण विसंगति का न होकर वेतनमान उच्चीकरण से सम्बन्धित है जो कि समिति को संदर्भित विचार बिन्दुओं के इतर है। समिति द्वारा इस मांग पर विचारण का कोई औचित्य नहीं है।

संवर्ग : लिपिकीय संवर्ग

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा वेतन विसंगति/24 वर्ष/26 वर्ष पर द्वितीय/तृतीय प्रोन्नत वेतनमान का संशोधित शासनादेश जारी किये जाने की मांग की है। इस सम्बन्ध में संघ द्वारा समिति को दो प्रत्यावेदन क्रमशः दिनांक 5.8.2016 एवं दिनांक 14.9.2016 दिये गये हैं। यह कहा गया है कि सिंचाई विभाग के खण्डीय संवर्ग के कर्मचारियों को एक नोशनल प्रोन्नति तथा एक प्रोन्नत वेतनमान 14 वर्ष की सेवा पर सीधी भर्ती कर्मचारियों को 4500–7000 प्रवर सहायक का लाभ प्राप्त हुआ और शासनादेश दिनांक 12 मार्च, 2001 की व्यवस्थानुसार वेतनमान का अगला स्तर 5000–8000 माना गया। इस क्रम में शासन के स्पष्टीकरण सम्बन्धी पत्र संख्या 3610/II–2008–01(82)/2005 दिनांक 23.01.2009 में इंगित स्थिति अंतर्गत 24 वर्ष की सेवा पर एक प्रोन्नति तथा एक प्रोन्नत वेतनमान का लाभ कर्मचारियों को प्राप्त होने के कारण द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान का अगला स्तर 5000–8000 प्राप्त नहीं हो पाना इंगित किया गया है। यह भी कहा गया है कि दिनांक 01.01.2006 से 31.08.2008 के मध्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शासनादेश संख्या 345/वि0अनु0–3/2001 दिनांक 22.10.2001 के तहत लाभ नहीं मिल पाया एवं दिनांक 01.09.2008 से तृतीय प्रोन्नत स्तर लागू किया गया और तृतीय प्रोन्नत स्तर की भांति जिन कर्मचारियों को एक प्रोन्नति तथा प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त हुआ उन्हें उक्त शासनादेश संख्या 345 के तहत द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान का अगला स्तर प्रदान करने के संशोधित आदेश जारी करने की मांग की गई है। साथ ही शासन के पत्र संख्या 5280/11–2007–01/सि0वि0 दिनांक 10.7.2007 तथा पत्र संख्या 3610/–2008–01(82)/2005/सिं0वि0 दिनांक 23 जनवरी, 2005 को निरस्त करते हुए 24/26 वर्ष पर हो रही वेतन विसंगति समाप्त करने की मांग की गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कनिष्ठ लिपिकों को वर्ष 1983 से वरिष्ठ लिपिक का पदनाम/वेतनमान स्वीकृत किया गया एवं वर्ष 2004 में लगभग 24/25 वर्ष बाद वरिष्ठ लिपिक का प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त हुआ, चौदह वर्ष की सेवा पर पहला प्रोन्नत वेतनमान का लाभ होने की स्थिति इंगित करते हुए शासनादेश संख्या 345 दिनांक 22.10.2001 एवं 12 मार्च, 2001 की व्यवस्था में देय वेतनमान का अगला स्तर द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान 5000–8000 प्राप्त नहीं हो सकना इंगित किया है जिसके अभाव में कर्मचारियों को ग्रेड वेतन 4200/4600 से वंचित रहने की स्थिति बताई गई है और कहा है कि शासनादेश संख्या 3610/11–2008–01(82)/2005 दिनांक 23.01.2005 अनुसार अन्य संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों को 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से अनुमन्य किया गया है जबकि मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को 01.01.2006 के स्थान पर 01.09.2008 से ए0सी0पी0 अनुमन्य किया गया है, जिससे विसंगति होना कहा है।

संघ द्वारा इंगित यह प्रकरण वेतन विसंगति का नहीं है। प्रकरण पूर्व में लागू समयमान वेतनमान तथा दिनांक 1–9–2008 से लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था से सम्बन्धित है, अतः समिति द्वारा विचारणीय नहीं है।

20–जलागम प्रबंध विभाग

संवर्ग : जलागम विभाग में मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, वर्क सुपरवाईजर व प्लम्बर

वित्त विभाग के पत्र संख्या 185/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2016 से समिति को प्राप्त कराये गये प्रकरण में जलागम प्रबंध निदेशालय में मशीन ऑपरेटर (ग्रेड वेतन 1800), इलेक्ट्रीशियन (ग्रेड वेतन 1900), वर्क सुपरवाईजर (ग्रेड वेतन 1900) व प्लम्बर (ग्रेड वेतन 1800) को क्रमशः ग्रेड पे 1900, 2000, 2000 व 1900 में उच्चीकृत किये जाने की अपेक्षा की गई है। ग्रेड वेतन उच्चीकरण के सम्बन्ध में यह तर्क दिया गया है कि अन्य विभागों में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य है। मशीन ऑपरेटर के वेतन उच्चीकरण हेतु राजकीय मुद्रणालय, रूड़की में मशीन सहायक आफसैट तथा बाइन्डर पद वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 से तुलना प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में फोटोकापी ऑपरेटर वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 में होना बताया है। कला एवं संस्कृति विभाग में फोटो मशीन आपरेटर के पद का वेतनमान भी रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 होना इंगित किया गया है। वर्णित मशीन आपरेटर पद समूह 'घ' का है। इलेक्ट्रीशियन का पद वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 में स्वीकृत बताया है और इसे समूह 'ग' अंतर्गत इंगित किया गया है। कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग एवं जलागम विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन की शैक्षिक योग्यता एवं कार्य तथा दायित्व एक समान है किन्तु जलागम विभाग में इलेक्ट्रीशियन का ग्रेड वेतन 1900 व लोक निर्माण विभाग में रू0 2400 अनुमन्य है। खेल विभाग में भी उक्त पद का ग्रेड वेतन रू0 2000 बताया गया है।

वर्क सुपरवाइजर का पद वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 बताया गया है और इस समूह 'ग' अंतर्गत इंगित किया है। अर्हता एवं कार्य दायित्व अन्य विभागों अनुरूप होना कहा है एवं लो0नि0वि0 में ग्रेड वेतन 2000 अनुमन्य होने के आधार पर इस पद का वेतन भी उच्चीकृत करने की संस्तुति की गई है।

प्लम्बर का पद वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 1800 में समूह 'घ' अंतर्गत इंगित करते हुए लोक निर्माण विभाग के प्लम्बर पद से तुलना कर समान अर्हता व कार्य दायित्व होने के आधार पर ग्रेड वेतन 1900 में उच्चीकृत करने की संस्तुति की गई है।

उल्लेखनीय है कि समता समिति की संस्तुतियां स्वीकार किये जाने के क्रम में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना (इन्टर–से–पैरिटी) का सिद्धांत मान्य नहीं है। प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतन उच्चीकरण से सम्बन्धित है जो कि समिति के संदर्भित विचार बिन्दुओं से इतर है, तदानुसार प्रकरण विचारणीय नहीं है।

21–खेल विभाग

संवर्गः इलेक्ट्रीशियन कम ट्यूबवैल ऑपरेटर, सहायक प्रशिक्षक, उप क्रीड़ा अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी

खेलकूद विभाग से **वित्त विभाग** के पत्र संख्या 211/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के माध्यम संदर्भित हुए वर्णित पदों के वेतन विसंगति प्रकरणों में इलेक्ट्रीशियन कम ट्यूबवैल ऑपरेटर वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000 को ग्रेड वेतन 2400, सहायक प्रशिक्षक वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200, उप क्रीड़ा अधिकारी वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4800 में उच्चीकृत किये जाने की अपेक्षा की गई है।

इलेक्ट्रीशियन कम ट्यूबवैल ऑपरेटर के वेतन उच्चीकरण की मांग लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन जिसका ग्रेड वेतन 1900 से 2400 किया गया है, से तुलना के आधार पर की गई है। समता समिति की संस्तुतियां लागू होने के क्रम में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना का सिद्धांत मान्य नहीं है। अतः इस पर कोई संस्तुति किया जाना संभव नहीं है।

सहायक प्रशिक्षक के वेतन उच्चीकरण के सम्बन्ध में कहा गया है कि भारत सरकार के खेल एवं युवा मामले के अंतर्गत संचालित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के सहायक प्रशिक्षक एवं खेल विभाग उत्तराखण्ड के सहायक प्रशिक्षकों की अर्हता एवं कार्य एक समान है परन्तु 'साई' के सहायक प्रशिक्षकों का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 है तथा खेल विभाग के सहायक प्रशिक्षकों का वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 होना इंगित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कदाचित भारतीय खेल प्राधिकरण स्वायत्तशासी संस्था है। यह भी अवलोकनीय है कि समता समिति द्वारा विभागीय सचिवों व संघों की सुनवाई कर ही केंद्र से समकक्ष पदों का चिन्हीकरण किया गया था, अतः इस प्रकरण में नये सिरे से विचारण का औचित्य स्थापित नहीं किया गया है। प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण व अभिलेख भी उपलब्ध नहीं हैं। यदि समकक्षता का औचित्य स्पष्ट किया जाय तो राज्य सरकार यथासमय इस सम्बन्ध में परीक्षण कराके समुचित निर्णय लेने पर विचार कर सकती है।

उप क्रीड़ा अधिकारी के सम्बन्ध में कहा गया है कि 'साई' में सहायक प्रशिक्षकों वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 की पदोन्नति प्रशिक्षक के पद वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 में की जाती है और खेल विभाग, उत्तराखण्ड में सहायक प्रशिक्षकों वेतनमान

5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 की पदोन्नति उप क्रीड़ा अधिकारी के पद वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 पर की जाती है। सहायक प्रशिक्षकों का वेतन 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 में उच्चीकरण किये जाने पर उप क्रीड़ा अधिकारी का वेतन 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 से 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 किया जाना प्रस्तावित है। इस तरह यह प्रकरण उप क्रीड़ा अधिकारी से पदानुक्रम में नीचे और पोषक पद के वेतन उच्चीकरण होने की प्रत्याशा में प्रस्तुत किया गया है। अतः समिति इस प्रकरण को इस कारण विचारणीय नहीं समझती है।

जिला क्रीड़ा अधिकारी पद के सम्बन्ध में कहा गया है कि 'साई' में कार्यरत प्रशिक्षकों वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 की पदोन्नति वरिष्ठ प्रशिक्षक पद वेतनमान 15600–39100 ग्रेड वेतन 6600 में होती है जबकि खेल विभाग, उत्तराखण्ड में उप क्रीड़ा अधिकारी (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200) की पदोन्नति जिला क्रीड़ा अधिकारी के पद (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600) में की जाती है। उप क्रीड़ा अधिकारी का वेतनमान उच्चीकरण होने की प्रत्याशा में जिला क्रीड़ा अधिकारी पद का वेतन उच्चीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है। अतः समिति इस प्रकरण को इस कारण विचारणीय नहीं समझती है।

22–श्रम एवं सेवायोजन विभाग

संवर्ग : जिला/सहायक सेवायोजन अधिकारी

उत्तराखण्ड इम्प्लॉयमेन्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा जिला/सहायक सेवायोजन अधिकारी संवर्ग के अधिकारियों का वेतनमान अन्य समकक्ष संवर्गों की भांति पुनरीक्षित/उच्चीकृत करने की मांग की है। अवगत कराया गया है कि जिला/सहायक सेवायोजन अधिकारी का वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4600 है जबकि जिला स्तरीय अन्य समकक्ष संवर्गों यथा जिला पंचायत अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला आडिट अधिकारी आदि के वेतनमान उच्चीकृत कर दिये गये हैं। इस तुलना के आधार पर वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 से उच्चीकृत कर 15600–39100 ग्रेड पे 5400 किये जाने की मांग की गई है। इस सम्बन्ध में विभिन्न संवर्गों के पदों का तुलनात्मक विवरण भी निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है –

क्र. सं.	संवर्ग	पंचम वेतनमान	उच्चीकरण उपरांत वेतनमान	षष्टम वेतनमान/ ग्रेड वेतन	सुस्थिति स्तरोन्नयन		
					10 वर्ष	16 वर्ष	24 वर्ष
1.	जिला पंचायत राज अधिकारी	6500–10500	8000–13500	15600–39100/ 5400	6600	7600	8700
2.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	6500–10500	8000–13500	15600–39100/ 5400	6600	7600	8700
3.	जिला पूर्ति अधिकारी	6500–10500	8000–13500	15600–39100/ 5400	6600	7600	8700
4.	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	6500–10500	8000–13500	15600–39100/ 5400	6600	7600	8700
5.	जिला/सहायक सेवायोजन अधिकारी	6500–10500	उच्चीकृत नहीं	9300–34800/ 4600	5400	6600	7600

वर्णित प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतन उच्चीकरण का है। समता समिति की संस्तुतियां लागू होने के क्रम में एक संवर्ग की दूसरे संवर्ग से तुलना मान्य नहीं है। अतः प्रश्नगत प्रकरण विचारणीय नहीं है और समिति के विचार क्षेत्र के बाहर है।

संवर्ग : भण्डारी/भण्डार अधीक्षक

वित्त विभाग के पत्र संख्या 198/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 07 सितम्बर, 2016 के माध्यम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भण्डारी/भण्डार अधीक्षक (वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800) का वेतन वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 में उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव संदर्भित किया गया है। **उत्तराखण्ड राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान**

तकनीकी कर्मचारी संगठन द्वारा भी यह मांग प्रस्तुत की गई है। मांग के समर्थन में यह तर्क दिया गया कि पूर्व में भण्डारी एवं अनुदेशक वेतनमान समान था किन्तु कालान्तर में वेतनमानों में अंतर आ गया एवं वर्तमान में भण्डारी को वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 अनुमन्य है जबकि अनुदेशक को वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 अनुमन्य किया गया है। कार्यरत भण्डारी एवं अनुदेशक की शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता भी समान बताई गई है।

पंचम वेतन आयोग में भण्डारी/भण्डार अधीक्षक का वेतनमान 4500–7000 था जिसके अनुरूप छठे वेतन आयोग में वेतनमान 5200–20200 ग्रेड वेतन 2800 ही बनता है। पूर्व में अनुदेशक का वेतनमान 5000–8000 था जिसके समरूप छठे वेतन आयोग में वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 ही अनुमन्य हुआ था जिसे बाद में उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन 4600 किया गया है। एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना (इन्टर–से–पैरिटी) का सिद्धांत मान्य न होने के कारण मांग औचित्यपूर्ण नहीं है। दोनों पदों के वेतनमानों में पूर्व से ही भिन्नता रही है, अतः प्रकरण विचारणीय नहीं है।

संवर्ग : अनुदेशक

उत्तरांचल (पर्वतीय) कर्मचारी–शिक्षक संगठन, देहरादून द्वारा शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र (सेवायोजन) में कार्यरत अनुदेशक संवर्ग के पदों का ग्रेड वेतन रू0 4200 से बढ़ाकर ग्रेड वेतन 4600 किये जाने की मांग की गई है। इस मांग का आधार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (प्रशिक्षण) में कार्यरत अनुदेशकों को दिये जा रहे ग्रेड वेतन 4600 है। यह भी अवगत कराया गया है कि विभाग में मात्र 12 अनुदेशक ही कार्यरत हैं।

इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2 द्वारा जारी हुए शासनादेश संख्या 965/XLI-1/15–25(प्रशि0)/2013 दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशकों के वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200 को वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4600 किया गया है। साथ ही इसके उपरान्त श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 730(1)/VIII/16–14(सेवा)/ 2013 दिनांक 09 अगस्त, 2016 की छायाप्रति भी उपलब्ध कराई गई है जिसमें सेवायोजन विभाग के अंतर्गत अनुदेशक पद के वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800 को तत्काल प्रभाव से वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 में उच्चीकृत करने के आदेश निर्गत किये गये हैं एवं यह शर्त रखी गई है कि अनुदेशक पदधारकों के सीधी भर्ती के पदों की शैक्षिक योग्यता सेवा योजन विभाग, उत्तर प्रदेश के समान रखी गई है।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा सेवायोजन विभाग के अनुदेशक का ग्रेड वेतन 2800 से बढ़ाकर ग्रेड वेतन 4200 कुछ ही समय पूर्व अगस्त, 2016 में उच्चीकृत किया गया है और उस समय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों का वेतनमान पूर्व में ही उच्चीकृत हो चुका था। स्पष्ट है कि शासन स्तर पर इन पदों के वेतन उच्चीकरण के

समय स्थिति का संज्ञान लिया गया होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि समता समिति के सिद्धांत के अनुसार एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की समतुल्यता नहीं है। समिति का मत है कि उपरोक्त के दृष्टिगत वर्णित प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर उच्चीकरण विषयक है। अतः विचारणीय नहीं है।

23–लघु सिंचाई विभाग

संवर्ग : तकनीकी एवं फील्ड संवर्ग

एसोसिएशन बोरिंग टैक्नीशियन लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक बोरिंग टैक्नीशियन जिसकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं आई0टी0आई0 सर्टिफिकेट है, का ग्रेड वेतन 1900 है तथा प्रोन्नति के पद बोरिंग टैक्नीशियन का ग्रेड वेतन 2400 है। संघ की मांग है कि सहायक बोरिंग टैक्नीशियन का ग्रेड वेतन 2400 तथा बोरिंग टैक्नीशियन का ग्रेड वेतन 4200 किया जाय। इस सम्बन्ध में संघ द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि समान शैक्षिक अर्हता रखने वाले सिंचाई विभाग के नलकूप मिस्त्री व लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रीशियन/वायर मैन ग्रेड वेतन 2400 प्राप्त कर रहे हैं। बोरिंग टैक्नीशियन की तुलना प्रारूपकार से करते हुए ग्रेड वेतन 4200 की मांग की गई है।

समता समिति की अनुशंसा लागू होने के उपरान्त एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग की तुलना का सिद्धांत समाप्त हो चुका है। स्पष्टतया प्रकरण वेतन विसंगति का न होकर वेतन उच्चीकरण से सम्बन्धित है, जो समिति के विचार क्षेत्र में नही है।